न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 148/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2010/00088

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी परखरामजी जाति-रेबारी, निवासी-पांचला तहसील-सांचोर, जिला-जालोर		1 जालमसिंह पुत्र स्व. हरीसिंहजी, राजपुत 2 नरपतसिंह पुत्र हरिसिंह जी, राजपुत 3 रसालकंवर बैवा हरीसिंहजी, राजपुत 4 कानसिंह पुत्र तेजसिंहजी, राजपुत 5 कसुम्बीदेवी धर्मपत्नी चूनारामजी, जाति-लौहार 6 कालाराम पुत्र मेघराज, रेबारी, साकिनान्-पांचला, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर 7 सरपंच ग्राम पंचायत पांचला तहसील-सांचौर, जिला-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :- 03.06.2006

उपस्थिति :-

1. अपीलार्थ की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं 6, 7 एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :- दिनांक :- 11.03.2025

अपीलार्थ द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांचला में कानसिंह, हरिसिंह पिसरान् तेजसिंह, कौम-राजपुत, निवासी-पांचला के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 199 रकबा 1.48 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें से 0.64 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 कालाराम पुत्र मेघराज को जरिये रजिस्ट्री बैचान कर दी गई तथा उसमें से शेष जमीन 0.84 हैक्टेयर कानसिंह व [illegible] खातेदारी की रही। हरीसिंह ने अपने खातेदारी का खेत ख[illegible] 0.84 हैक्टेयर में से अपने 1/2 हिस्से की जमीन 0.42 हैक्टेयर [illegible] को जरिये बैचान दिनांक 05.04.2085 को 0.32 हैक्टेयर भूमि का बैचान कर प्रतिफल [illegible]पये 70,000/ प्राप्त किये तथा भूमि पर मुझ अपीलार्थ को कब्जा सुपुर्द किया जो दस्तावेज पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 173 में पृष्ठ संख्या 191 के क्रम संख्या 2005000380 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ संख्या 501 से 516 पर चस्पा किया गया तथा बाद रजिस्ट्री के मैने मेरे बेचान दस्तावेज की कॉपी प्राप्त कर उसकी फोटो प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

असल के साथ हल्का पटवारी पांचला को वास्ते नामान्तरकरण दी जिस पर हल्का पटवारी ने मुझे 5–7 दिन में नामान्तरकरण पास करवाने का पक्का आश्वासन दिया। मैं हल्का पटवारी के आश्वासन पर विश्वास पर बैठा रहा तथा हल्का पटवारीजी को पूछा तो हल्का पटवारी ने कहा कि तुम्हारा नामान्तरकरण खोल दिया है। रजिस्ट्री करवाने के कुछ समय बाद यानि 20.09. 2005 को बेचानकर्ता हरीसिंहजी फौत हो गये तथा फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने मुझ खरीददार का कब्जा होते हुए भी व भूमि का बैचान किया होने पर भी मृत्यु प्रमाण व उतराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर बैचान की गई भूमि खसरा नंबर 199 का रकबा 0.84 हैक्टेयर का नामान्तरकरण पूरा का पूरा अपने नाम करवा दिया तथा कानसिंह के नाम करवा दिया जबकि हरीसिंह के खातेदारी मे बैचान करने के बाद मात्र रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि की शेष रहती है जबकि हरीसिंहजी के फौत होने पर उनके पुत्रों ने इस आराजी की रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवा कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो गलत है इस तरह का नामान्तरकरण काबिल निरस्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की नियत शुरू से खराबी थी, उन्होंने बैचान की गई जमीन का पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के साथ मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पक्ष में भी आगे बैचान कर दी हे जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि इस आराजी में से 0.32 हैक्टेयर भूमि मुझ अपीलनाथ्रया को पूर्व में बैचान कर कब्जा सुपर्दु कर दिया था जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पुनः बैचान की गई भूमि का बैचान कर मुझे मेरी खातेदारी से महरूम रखने का प्रयास किया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 को मात्र 0.10 हैक्टेयर भूमि ही बैचान करने का अधिकार था जबकि रेस्पोडेण्ट ने अपना हक नहीं होते हुए भी तथा कब्जा मुझ अपीलार्थीया का होते हुए भी गलत ढंग से रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पक्ष में खसरा नंबर 199 रकबा 0.48 हैक्टेयर जो बैचान करने के बाद 0.84 हैक्टेयर शेष रहता है उसमें से 1/2 हिस्से में से हरीसिंह ने 0.32 हैक्टेयर भूमि बैचान मुझ अपीलार्थीया के पक्ष में कर दी थी तथा उनके हिस्से में 0.10 हैक्टेयर भूमि ही शेष रहती है फिर भी इन्होने संपूर्ण जमीन को बेचान किया है तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण भरवाया है जबकि हरीसिंहजी के फौत होने के बाद उनके उतरधिकारियों के नाम इस आराजी में से रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि का ही नामान्तरकरण भरा जाना था। इससे ज्यादा जो नामान्तरकरण भरा गया है वो काबिल निरस्त के है। ग्राम पांचला के खेत खसरा नंबर 199 रकबा 1.48 हैक्टेयर में से 0.64 [illegible] के पक्ष में बैचान करने के बाद शेष रही भूमि 0.84 हैक्टेयर में से श्री हरीसिंह [illegible] अपने [illegible] दे जी अपने हिस्से में से 0.32 हैक्टेयर भूमि बैचान कर दी थी, जबकि [illegible] के बाद इस आराजी में रकबा 0.10 हैक्टेयर का नामान्तरकरण न भरा जाकर संपूर्ण रकबा 0.84 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण हरिसिंहजी के पुत्रों के नाम खोल दिया गया जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर इस नामान्तरकरण से प्रभावित बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 338 को भी अपास्त कर इस आराजी में 0.32 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण मुझ अपीलार्थीया के पक्ष में खोला जाकर शेष भूमि का नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

हरीसिंहजी के पुत्रों व उसके आगे खरीददार कसुम्बीदेवी पत्नी चुनाराम के नाम इस आराजी में से 0.10 हैक्टेयर भूमि का ही नामान्तरकरण खोला जावें। इस आशय का आदेश तहसीलदार सांचौर को नाम जारी फरमावें।

उक्त अपील बाद कार्यालय टिप्पणी दिनांक 03.06.2006 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित आये, परन्तु जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 का जवाब बंद किया गया तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 4 व 6, 7 बावजूद तामील (सूचना) उपस्थित रहने पर उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं 6, 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील के तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पांचला के खसरा संख्या 199 रकबा 1.48 हैक्टेयर में से 0.64 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के पक्ष में बेचान करने के बाद शेष रही भूमि 0.84 हैक्टेयर में से हरिसिंह ने अपने जिन्दे जी अपने हिस्से में से 0.32 हैक्टेयर भूमि बैचान कर दी थी, जिस पर शेष 0.10 हैक्टेयर भूमि ही हरिसिंह के खाते में रहनी चाहिए। जबकि हरिसिंह के फौत होने के बाद इस आराजी में रकबा 0.10 हैक्टेयर का नामान्तरकरण न भरा जाकर संपूर्ण रकबा 0.84 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण हरिसिंह के पुत्रों के नाम खोल दिया गया जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर इस नामान्तरकरण से प्रभावित बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 338 को भी अपास्त कर इस आराजी में 0.32 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के पक्ष में खोला जाकर शेष भूमि का नामान्तरकरण हरिसिंह के पत्रों व उसके आगे खरीददार कसुम्बी देवी पत्नी चूनाराम के नाम इस आराजी में से 0.10 हैक्टेयर भूमि का ही नामान्तरकरण खोल जावे, शेष भूमि 0.32 हैक्टेयर अपीलार्थीया के खातेदारी में नामान्तरकरण खोला जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने उक्त तथ्यों को विरोध करते हुए अपीलार्थीया की अपील को सारहीन बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान किये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौजूद बैचान पंजियन दस्तावेज खरीददार लक्ष्मीदेवी पत्नी परखाराम बैचान हरिसिंह वल्द तेजसिंह से स्पष्ट है कि अपीलार्थीया द्वारा खरीद की भूमि का नामान्तरकरण शेष रहा है तथा हरिसिंह के फौत होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 326 उनके वारिशान के नाम खोला गया था, प्रस्तुत बेचान दस्तावेज पंजियन से अपीलार्थीया लक्ष्मीदेवी खरीददार होना साबित होने तथा नामान्तरकरण संख्या 338 खरीददार कसुम्बी देवी के नाम खोला गया, अतः उक्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

दोनों नामान्तरकरण अपास्त किये जाना उचित प्रतीत होने से अपीलार्थीया की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीया अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है। प्रकरण में अपीलार्थीया खरीददार साबित होने तथा बैचान बावजूद उक्त भूमि बैचान होने से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 326 तथा बैचान नामान्तरकरण संख्या 338 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों नामान्तरकरण की संपूर्ण तथ्यों पर जांच कर बांद जांच स्वीकृत करावें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालौर

निर्णय आज दिनांक **11.03.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:44 IST
Reason: SelfAttested